न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

विविध शिकायत वाद संख्या–30/2017–18

लक्ष्मण कुँवर वगैरह बनाम ललन कुँवर वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

14/8/18

आदेश

अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विविध वाद सं0 81/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है।

अपीलार्थीगण के द्वारा विविध वाद सं0 81/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0एल0टी0 वाद सं0 736/2017 दायर किया गया। बी0एल0टी0 के द्वारा दिनांक 29.11.2017 को यह कहते हुए वाद को निष्पादित कर दिया गया कि अपीलार्थी सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर राकते हैं। तत्पश्चात अपीलार्थीगण के द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर की गयी।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
पालीगंज	नूरचक	369	3	415 394	2.48 एकड़
			26 39 41	393 486 416	

अपीलार्थीगण के अनुसार

(1) उभय पक्ष एक के ही पूर्वज गम्भीर कुँवर के वंशज है। प्रश्नगत भूखण्ड उन्हें खानगी बंटवारा में प्राप्त हुआ। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विविध वाद सं0 81/2016–17 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड में आधे भाग अर्थात 1.24 एकड़ भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षीगण के नाम पर कायम करने का आदेश दे दिया गया।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा बिना किसी अधिनियम के यह आदेश पारित किया गया जो उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज को स्वत्व निर्धारण या पारिवारिक सम्पति में बंटवारा करने का अधिकार नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड का $\frac{1}{2}$ हिस्सा की घोषणा कर दी गयी, जो विधि–सम्मत नहीं है।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज को पूर्व से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार नहीं है, परन्तु प्रश्नगत मामले में उनके द्वारा अपीलार्थीगण की जमाबंदी रद्द कर दी गयी जो बिल्कुल ही अवैध है।

(5) विविध वाद सं0 81/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को

पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

विपक्षीगण का कहना है कि

(1) विविध वाद सं0 81/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत एवं उचित है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षीगण के दखल–कब्जा में है, जिसकी बहुत दिनों से लगान रसीद निर्गत नहीं हो रही थी। अंचल अधिकारी, पालीगंज को लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु अंचलाधिकारी, पालीगंज के द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं की गयी, जिस कारण अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज कार्यालय में शिकायत की गयी। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज में वाद लाने हेतु निदेशित किया गया। विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में विविध वाद सं0 81/2016–17 लाया गया, जिसमें सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24.08.2017 को आदेश पारित किया गया।

(3) इस वाद के अपीलार्थीगण के द्वारा सब जज, पालीगंज के न्यायालय में प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर स्वत्व वाद सं0 68/2017 दायर किया गया है।

(4) विविध वाद सं0 81/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि

(1) विविध वाद सं0 81/2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा स्वत्व का निर्धारण करते हुए हिस्से का बंटवारा कर दिया गया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राजस्व न्यायालय के द्वारा हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा इस वाद के अपीलार्थी के पूर्व से कायम जमाबंदी में से आधे हिस्से को खारिज कर इस वाद के विपक्षीगण के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया। किस अधिनियम अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा ऐसा किया गया यह समझ से परे है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विविध वाद सं0 81/2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत नहीं है, अतः उसे निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर स्वत्व वाद सं0 68/2017 दायर है। उक्त स्वत्व वाद का निर्णय अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पालीगंज को दें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/8/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

15/8/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना